

कार्यालय आयुक्त पुलिस, दिल्ली, पुलिस मुख्यालय नई दिल्ली.
संख्या /जनसम्पर्क शाखा, पुलिस मुख्यालय, दिल्ली, दिनांक /2009.
सेवा में,

सम्पादक,
राष्ट्रीय सहारा,

विषय:- स्पष्टीकरण बाबत "भाई की मौत पर भी नहीं दी एसआई को छुट्टी।"

महोदय,

आपके समाचार पत्र में दिनांक 3.5.2009 को प्रकाशित "चुनाव बाद जाना भाई का शव लेने: एसीपी, भाई की मौत पर भी नहीं दी एसआई को छुट्टी व भाई की मृत्यु पर भी एसआई को नहीं मिली छुट्टी" शीर्षक के अर्न्तगत छपी खबर में तथ्यों को तोड़मरोड़ कर प्रकाशित किया गया है।

खबर में प्रकाशित संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार थाना न्यू उस्मानपुर में तैनात एसआई जोगेन्द्र सिंह के भाई की मौत पर भी दहा संस्कार में शामिल होने के लिए एसआई को छुट्टी नहीं मिली।

रिकार्ड के अनुसार दिनांक 27.4.2009 को थाना प्रभारी न्यू उस्मानपुर को एसआई जोगेन्द्र सिंह ने टेलिफोन से बतलाया कि उसके बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया है, जिसकी अन्तिम क्रिया के लिए उसको जाना है। एसएचओं न्यू उस्मानपुर ने ये बात टेलिफोन से एसीपी को बतलायी। एसीपी ने एसआई को तुरन्त चार दिन का अवकाश स्वीकृत किया और जाने की अनुमति दे दी। इस बाबत थाने के रिकार्ड के अनुसार एसआई जोगेन्द्र सिंह दिनांक 27, 28, 29 व 30.4.2009 को अवकाश पर रहे। इसी दौरान एसआई जोगेन्द्र सिंह ने एक छुट्टी का प्रार्थना पत्र जिसमें 4 दिन की छुट्टी, जो पहले ही स्वीकृत की जा चुकी थी, प्रेषित किया। क्योंकि एसीपी सिलमपुर को पहले से ही मालुम था कि एसआई जोगेन्द्र सिंह को 4 दिन के अवकाश पर छोड़ा हुआ है, इसी कारण एसआई जोगेन्द्र सिंह की दरखास्त को लौटा दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्दनजर रखते हुए यह स्पष्ट होता है कि एसआई जोगेन्द्र सिंह को चार दिन का तत्काल अवकाश दिया गया था। अतः छुट्टी नहीं दी जाने की खबर बिलकुल गलत व बेबुनियाद है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वास्तविक तथ्यों को समुचित स्थान पर प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें, ताकि पाठकगण सही जानकारी से अवगत हों।

धन्यवाद !

(राजन भगत)
जनसम्पर्क अधिकारी,
दिल्ली पुलिस, दिल्ली।